



सत्यमेव जयते

## न्यायालय

# उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ जिला-अलवर

(पीठारीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना संख्या :- 03/72/2025

आर्नेलाईन नम्बर:-2025/374

प्रवेश तिथि:-09.09.2025

1. जयराम मीना पुत्र जन्सी राम मीना जाति मीना आयु करीब 55 साल निवासी ग्राम नीमला तहसील राजगढ जिला अलवर।

प्रार्थी



1. तहसीलदार तहसीलदार राजगढ जिला अलवर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956

उपस्थित :1. श्री पी.डी. मीना एड0 प्रार्थी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार राजगढ-अप्रार्थी

—:निर्णय:—

दिनांक 10/11/2025

1 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू-राजस्व अधिनियम बाबत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की हाल आराजी खाता संख्या 159 आराजी खसरा नम्बर 132/0.02, 1529/0.22, 1542/0.11, 1543/0.10, 157/0.07, 163/0.11, 170/0.24, 175/0.14, 180/0.19, 182/0.15, 186/0.06, 193/0.20 कुल कित्ता 12 कुल रकबा 1.61 है0 वाके ग्राम नीमला तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी 1/4 का कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम जयराम पुत्र जन्सी राम मीना की जगह सहवन से दयाराम पुत्र जन्सी राम मीना दर्ज कर दिया। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरुस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पिता का सही नाम जयराम पुत्र जन्सी राम मीना दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार राजगढ जिला अलवर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार राजगढ जिला अलवर के पत्रांक क्रमांक/भू.अ./2025/2108 दिनांक 28.10.2025 की मौका जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई जोकि शामिल पत्रावली है। तहसीलदार राजगढ रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम जयराम पुत्र जन्सी राम मीना व दयाराम पुत्र जन्सी राम मीना दौनो को एक ही व्यक्ति होना बताया गया है। तहसीलदार राजगढ की जाँच रिपोर्ट एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार हाल रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम जयराम पुत्र जन्सी राम मीना की जगह सहवन से दयाराम पुत्र जन्सी राम मीना दर्ज कर रखा है। उसके स्थान पर प्रार्थी का नाम जयराम पुत्र जन्सी राम मीना दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ  
जिला-अलवर

3. बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौरान-ए-बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये उल्लेख किया कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 159 आराजी खसरा नम्बर 132/0.02, 1529/0.22, 1542/0.11, 1543/0.10, 157/0.07, 163/0.11, 170/0.24, 175/0.14, 180/0.19, 182/0.15, 186/0.06, 193/0.20 कुल कित्ता 12 कुल रकबा 1.61 है0 वाके ग्राम नीमला तहसील राजगढ़ जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काशत की खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम जयराम पुत्र जन्सी राम मीना की जगह सहवन से दयाराम पुत्र जन्सी दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का नाम अन्य रिकार्ड में जयराम पुत्र जन्सी राम मीना दर्ज रिकार्ड है। उक्त गलत इन्दाज से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरुस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का सही नाम जयराम पुत्र जन्सी राम मीना दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. मैने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तहसीलदार राजगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 28.10.2025, मौक पर्व पटवारी दिनांक 27.10.2025, आदि का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र की पुष्टि में उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात की जाँच रिपोर्ट से भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यों के सही होने की पूर्णरूप से पुष्टि होती है, प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में आराजी खाता संख्या 159 आराजी खसरा नम्बर 132/0.02, 1529/0.22, 1542/0.11, 1543/0.10, 157/0.07, 163/0.11, 170/0.24, 175/0.14, 180/0.19, 182/0.15, 186/0.06, 193/0.20 कुल कित्ता 12 कुल रकबा 1.61 है0 वाके ग्राम नीमला तहसील राजगढ़ जिला अलवर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार राजगढ़ को आदेश दिये जाते है कि वो उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम दयाराम पुत्र जन्सी राम मीना दर्ज है उसके स्थान पर प्रार्थी का नाम जयराम पुत्र जन्सी राम मीना दुरुस्त किया जावे तथा शेष इन्दाज यथावत रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भण्डार हो।



(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी राजगढ़  
जिला अलवर